

दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड				
पंजीकृत कार्यालय : शक्ति सदन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002				
सार्वजनिक सूचना				
सार्वजनिक रेस्पांस हेतु अनुरोध				
वित्त वर्ष 2012-13 से 2014-15 की नियंत्रण अवधि के लिए सकल राजस्व अर्हताओं के अनुमोदन के लिए बहुवर्षीय शुल्क (एमवाईटी) याचिका				
1. दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल) ने विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान के अंतर्गत आवश्यक आदेश एवं वित्त वर्ष 2012-13 से 2014-15 की नियंत्रण अवधि हेतु व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए सकल राजस्व अर्हताओं का अनुमोदन हेतु 06.02.2012 को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी या कमिशन) के समक्ष बहुवर्षीय शुल्क (एमवाईटी) याचिका पेश किया है। कमिशन ने 09.02.2012 को याचिका स्वीकार कर लिया है।				
2. याचिका की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित रूप में हैं : (रु. करोड़)				
	सकल राजस्व अर्हताएं	वित्त वर्ष 2012-13	वित्त वर्ष 2013-14	वित्त वर्ष 2014-15
1.	कुल ओएवंएम व्यय	227.81	261.68	307.46
2.	ह्रास	165.26	214.56	250.78
3.	व्हीलिंग आफ पावर/बिक्री पर रिबेट	2.5	2.5	2.5
4.	लगाई गई पूंजी पर रिटर्न	335.08	430.97	491.88
5.	घटे : ए एंड जी तथा कर्मचारी व्यय पूंजीकृत	-33.46	-45.97	-12.39
6.	घटे : गैर-शुल्क आय	-2.50	-2.50	-2.50
7.	आयकर प्रावधान	35.92	44.97	47.41
8.	अन्य शुल्कों से राजस्व	0	0	0
9.	राजस्व अर्हताएं	730.61	906.21	1085.14
10.	अतिरिक्त ऊर्जा खरीद देयता (*)	3.78		
11.	कुल राजस्व एवं अर्हताएं	734.39	906.21	1085.14
(*) अतिरिक्त ऊर्जा खरीद देयता, नीति निर्देश अवधि के दौरान डीटीएल द्वारा खरीदे गए ऊर्जा पर सीईआरसी के कारण है।				
3. नियंत्रण अवधि हेतु प्रस्ताव : रु. 1724.89 करोड़ की पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान अनेक 400 केवी, 220 केवी आदि उपकेन्द्रों तथा अन्य ईएचवी सिस्टम संवर्धन तथा सुधार की स्थापना हेतु व्यय किया जाना प्रस्तावित है।				
4. कमिशन द्वारा अधिसूचित डीईआरसी (व्यवसाय संचालन) विनियमन, 2001 के प्रावधान के अनुसार उपभोक्ताओं और पणधारियों से आग्रह है कि उपरोक्त याचिका पर प्रतिक्रिया जमा करावें। रेस्पांस अधिकतम 30.03.2012 तक निम्नांकित पते पर आयोग के सचिव के पास डाक से अथवा खुद जमा करावें। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग विनियामक भवन, सी-ब्लॉक, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017 (रेस्पांस secyderc@nic.in पर सचिव डीईआरसी को ई-मेल भी किया जा सकता है)				
5. दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग प्रतिक्रिया देने वाले पणधारियों के साथ सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन करेगा। सुनवाई की तिथि के बारे में आयोग द्वारा अलग से सूचना दी जाएगी।				
6. याचिका की प्रति नई दिल्ली में डीटीएल के पक्ष में नकद/डीडी/आइपीओ द्वारा रु. 100/- के भुगतान पर प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे के मध्य प्रकाशन की तिथि से 29.3.2012 तक किसी भी कार्य दिवस में पीआरओ दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, शक्ति सदन, कोटला रोड नई दिल्ली-110002 के कार्यालय से खरीदा जा सकता है।				
7. याचिका की प्रति हमारी वेबसाइट (www.dtl.gov.in) पर तथा आयोग की वेबसाइट (www.derc.gov.in) पर भी उपलब्ध है तथा प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे के मध्य किसी भी कार्य दिवस में डीईआरसी के कार्यालय तथा हमारे पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।				
हस्ता./- जी.एम. (Comm.) DTL पिपिटेशनर				
पीआर/11-12/66				
हम से मिलें : <a href="http://www.dtl.gov.in">www.dtl.gov.in</a>				